कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल म0प्र0

जिला न्यायालय भवन परिसर भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड संचालन का निविदा प्रलेख

01— फोटोग्राफी शेड हेतु रू. 50,000/— (एक लाख रुपए) की एफ.डी.आर. सुरक्षानिधि के रूप में जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

02— न्यूनतम प्रीमियम राशि (मासिक किराया) राशि रू. 11,000/— प्रति माह निर्धारित किया जाता है जो कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एडवांस देय होगा तथा लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि राशि जब्त कर वसूल की जाएगी तथा ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।

03— व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

04— विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

05— प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

06— व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नही करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

07— व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

08— जिला न्यायाधीश का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

09— व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।

10— व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

11— व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ—सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

12— आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

13— दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

14— जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म0प्र0

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

अल्पावधि निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन परिसर, भोपाल में माह मार्च 2016 से एक वर्ष की कालावधि के लिए फोटोग्राफी दुकान संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तों सम्बन्धी सम्पूर्ण निविदा प्रलेख मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर उपलब्ध है। इस हेतु निर्धारित शर्तें एवं निविदा प्रपत्र आदि राशि रुपए 100/- नगद भुगतान पर नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निविदा शर्तों के सम्बन्ध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 14/3/2016...... 2016 को दोपहर 02:00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को सायंकाल 04:00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)